क्र.

3.8.21 - अधिवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली आज पेशी से पूर्व नम्बर पर ली गई। प्रार्थी स्वयं उप०। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना-पत्र में आगे कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रार्थी स्वीकार की जाकर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 2/2 R7 जाबिते डिक्री खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अ
डीगांव (नागौ